



निविदा सूचना संख्या-02/2020-2021

आगामी पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के निमित्त विभिन्न पुस्तक/पुस्तिका यथा-“पीठासीन पदाधिकारियों के लिये मार्गदर्शिका” की लगभग 1,32,000 (एक लाख बत्तीस हजार) प्रति, मतदाता पंजी की लगभग 1,32,000 (एक लाख बत्तीस हजार) प्रति, मतगणना अनुदेश पुस्तिका की लगभग 1,000 (एक हजार) प्रति एवं “प्रेक्षकों के लिए मार्गदर्शिका” की लगभग 500(पाँच सौ), प्रति के मुद्रण हेतु अनुभवी फर्म/प्रेस से मुहरबंद निविदा द्विलिफाफा पद्धति (तकनीकी एवं वित्तीय) से दिनांक 22.02.2021 को अपराह्न 1.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है एवं उसी दिन अपराह्न 3.00 बजे सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय कक्ष में क्रय-सह-दर निर्धारण समिति के समक्ष खोली जायेगी। तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता का ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी। विस्तृत जानकारी के लिए आयोग के वेबसाईट sec.bihar.gov.in पर देखा जा सकता है।

2. सामान्य शर्त :-

(i) मुद्रित की जाने वाली सामग्रियों का विवरण, आकार एवं विशिष्टियाँ निम्नवत है :-

क्रम सं०	मुद्रित की जाने वाली सामग्रियों का विवरण	पृष्ठों की संख्या/पुस्तकों की संख्या (कभर छोड़कर)	विशिष्टियाँ
1	पीठासीन पदाधिकारियों के लिये मार्गदर्शिका	लगभग 92/1,32,000 (एक लाख बत्तीस हजार) प्रति	(i) पुस्तक का मुद्रण डिमाई/4 साईज में होगा। (ii) टेक्सट 80 GSM Maplitho पर Black से एवं आवरण 250 GSM आर्ट पेपर पर Multi colour में मुद्रण कराया जायेगा।
2	मतगणना अनुदेश पुस्तिका	लगभग 30/ 1,000 (एक हजार) प्रति	
3	प्रेक्षकों के लिए मार्गदर्शिका	लगभग 12/ 500 (पाँच सौ)	
4	मतदाता पंजी	लगभग 80/ 1,32,000 (एक लाख बत्तीस हजार) प्रति	(i) पुस्तक का मुद्रण डिमाई/4 साईज में होगा। (ii) टेक्सट 70 जी0एस0एम0 क्रीमओव एवं आवरण 130 जी0एस0एम0 पल्प बोर्ड कागज पर एक रंग में मुद्रण कराया जायेगा।

(ii) मुद्रित की जाने वाली सामग्री आयोग द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

(iii) उपरोक्त सभी पुस्तक/पुस्तिकावार पृष्ठों की संख्या में वृद्धि अथवा कमी की स्थिति में पृष्ठों की औसत के आधार पर भुगतान के समय मूल्य घटाया/बढ़ाया जा सकता है। प्राप्त दर के आधार पर आयोग कार्यालय के अन्य पुस्तक/पुस्तिकाओं का भी मुद्रण कराया जा सकता है।

3. मुद्रित की जाने वाली पुस्तकों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है।

4. तकनीकी शर्त निम्न है :-

(i) निविदा के साथ अग्रधन के रूप में 50,000/- (पचास हजार) रुपये का बैंक ड्राफ्ट उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना के नाम से जमा करना होगा।

(ii) निविदादाता को समान प्रकृति के कार्य का कम से कम तीन वर्षों का अनुभव होना चाहिए। (सरकारी/अर्धसरकारी क्षेत्र में प्रिंटिंग से संबंधित कार्य अनुभव प्रमाण पत्र/कार्यादेश की प्रति तीन वर्षों का संलग्न करें)।

(iii) निविदादाता को आयकर दाता होने के लिए कम से कम अद्यतन तीन वर्षों का आयकर रिटर्न जमा करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। (आयकर रिटर्न की प्रति संलग्न करें)।

(iv) निविदादाता को अद्यतन तीन वर्षों में न्यूनतम वार्षिक टर्नओवर 50 लाख रुपये से कम नहीं होना चाहिए। (जो गत तीन वर्षों का अंकेक्षित Balance sheet के आधार पर हो)

(v) निविदादाता के पास GST निबंधन प्रमाण पत्र होना चाहिए। (GST Return Filing प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)।

(vi) फर्म/ऑफसेट प्रेस से संबंधित कागजात (Press Declaration) संलग्न करना होगा जो निविदादाता के नाम पर होना चाहिए।

(vii) निविदादाता का प्रेस पटना शहर में होना आवश्यक है। इस संबंध में साक्ष्य के साथ undertaking देना होगा।

(vii) फर्म किसी कार्यालय द्वारा काली सूची में नहीं डाली गई हो, इस आशय का (Notary द्वारा निर्गत) शपथ-पत्र देना होगा।

(ix) निविदा के साथ कागज/बोर्ड का नमूना संलग्न करना होगा। जिसपर कागज/बोर्ड नाम एवं GSM स्पष्ट रूप से अंकित करते हुये निविदादाता का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।

(x) निविदादाता को सक्षम प्राधिकार से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

(xi) सामग्री की आपूर्ति में विलंब होने पर (0.5% प्रतिशत एवं अधिकतम 5% कुल मूल्य) का कटौती की जाएगी।

(xii) सामग्रियों को 07, क्रांति मार्ग स्थित (राज्य निर्वाचन आयोग) कार्यालय स्थल पर आपूर्ति के लिए अलग से कोई राशि देय नहीं होगा।

(xiii) सफल निविदादाता को एकरारनामा के समय कुल मूल्य का 10 प्रतिशत सिक्कुरिटी मनी बैंक ड्राफ्ट के रूप में उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार के नाम से देना होगा।

6. वित्तीय शर्त निम्न है :-

(i) उपरोक्त सभी पुस्तक/पुस्तिकावार दर अंक एवं शब्द दोनों में सभी करों सहित अलग-अलग अंकित करना है।

7. निविदा के अन्य शर्त :-

(i) उपरोक्त सभी पुस्तक/पुस्तिकावार पृष्ठों की संख्या में वृद्धि अथवा कमी की स्थिति में पृष्ठों की औसत के आधार पर भुगतान के समय मूल्य घटाया/बढ़ाया जा सकता है।

(ii) प्राप्त दर के आधार पर आयोग कार्यालय के अन्य पुस्तक/पुस्तिकाओं का भी मुद्रण कराया जा सकता है।

8. सफल निविदादाता को अंतिम मुद्रण के पूर्व निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप Proof, Hard Copy में समर्पित करना होगा।

9. निविदा दिनांक 22.02.2021 को ही अपराह्न 3.00 बजे सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय कक्ष में खोली जायेगी। निविदा खोले जाने के समय निविदाकर्ता स्वयं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

10. चयनित फर्म/प्रेस को दिनांक 28.02.2021 तक मुद्रित पुस्तिका की आपूर्ति 7, क्रांति मार्ग स्थित राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय में करना होगा। उसके लिये अलग से कोई शुल्क का भुगतान नहीं किया जायेगा। निर्धारित समय पर पुस्तिका की आपूर्ति नहीं किये जाने पर आदेश को रद्द कर दिया जायेगा तथा कार्य समय पर पूरा नहीं करने के एवज में अन्य वैधानिक कार्रवाई की जायेगी। मुद्रण की गुणवत्ता में कमी होने पर भी फर्म/प्रेस के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

11. राज्य निर्वाचन आयोग को निविदा में अंकित किसी सामग्री के Defective/Damaged एवं समरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में रद्द करने का अधिकार है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार के आदेश से

ह0/-

सचिव,

राज्य निर्वाचन आयोग,

बिहार।

पटना, दिनांक-2 फरवरी, 2021

ज्ञापांक पं०नि०-30-31/2010 312

प्रतिलिपि: श्री राजेश कुमार, आई.टी. प्रबंधक एवं निदेशक, Software Education & Research Pvt.Ltd को आयोग के

बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।
02/02/2021